पत्रांक–डी0एम0सी0–1एन0–194/2018 .... 2450 (ग) अनु

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुरेश प्रसाद प्रभाकर,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित),
सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित),
सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित),
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांकः–12/3/26

विषयः– विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण में व्यवहृत लघु खनिजों पर देय मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) एवं निर्धारित दर पर स्वामिस्व (Royalty) की वसूली सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंगः– सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग का पत्रांक–1442, दिनांक–23.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना द्वारा सरकारी परियोजनाओं के निर्माण में व्यवहृत लघु खनिजों पर देय मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) एवं निर्धारित दर पर स्वामिस्व (Royalty) की वसूली सुनिश्चित करने एवं वसूल गयी राशि जमा कराने हेतु कतिपय दिशा निर्देश दिये गये है। साथ ही संवेदक के विपत्रों को उनके द्वारा परियोजनाओं में व्यवहृत लघु खनिजों के लिए समर्पित ई–चलान/परमिट का सत्यापन कर मालिकाना फीस की कटौती के पश्चात ही विपत्र का भुगतान हो। विदित हो कि यदि संवेदक द्वारा वैध ई–चलान/परमिट समर्पित नहीं किया जाता है तो मालिकाना फीस के अतिरिक्त व्यवहृत लघु खनिजों के स्वामिस्व का 25 गुणा राशि भी खनिज मूल्य के रूप में कटौती कर खनन शीर्ष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

उक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

12.3.26

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

DIVESH SEHARA, I.A.S.
Secretary
Mines and Geology Department
Govt. of Bihar

New Secretariat
Vikas Bhawan, Bailey Road
Patna - 800015
Phone : 0612-2215857
e-mail : secymine-bih@nic.in

सत्यमेव जयते

Ref. No.: 1442

Date : 23/02/26

सेवा में,

सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– कार्य विभाग द्वारा सरकारी परियोजनाओं के निर्माण में व्यवहृत लघु खनिजों पर देय मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) एवं निर्धारित दर पर स्वामिस्व (Royalty) की वसूली सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंगः – विभागीय अधिसूचना संख्या–4374 दिनांक 16.10.2024 एवं विभागीय पत्रांक 4418 दिनांक 19.10.2024, पत्रांक 1407 दिनांक 06.03.2025 एवं पत्रांक 5107 दिनांक 11.09.2025

महाशय,

खान एवं भूतत्व विभाग के राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति में मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) एवं स्वामिस्व (Royalty) का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्य विभागों से सरकारी परियोजनाओं के निर्माण में व्यवहृत लघु खनिजों पर देय मालिकाना फीस एवं निर्धारित दर पर स्वामिस्व की वसूली विधिक अनिवार्यता है। इस क्रम में यह प्रक्रियात्मक अपेक्षा है कि संवेदक के विपत्रों को उनके द्वारा परियोजना में व्यवहृत लघु खनिजों के लिए समर्पित ई–चालान/परमिट का सत्यापन कर मालिकाना फीस की कटौती के पश्चात् ही विपत्र का भुगतान हो। यदि संवेदक द्वारा वैध ई–चालान/परमिट समर्पित नहीं किया जाता है तो मालिकाना फीस के अतिरिक्त व्यवहृत लघु खनिजों के स्वामिस्व का 25 गुणा राशि भी खनिज मूल्य के रूप में कटौती कर खनन शीर्ष में जमा कराने हेतु संबंधित को निदेशित करने की कृपा की जाय।

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि आपके विभाग/निगम के अन्तर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं के Bill of Quantity (BOQ) में परिगणित (Calculated) मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) एवं स्वामिस्व (Royalty) के आधार पर देय मालिकाना फीस /रॉयल्टी की राशि दिनांक 31.03.2026 के पूर्व अनिवार्य रूप से जमा कराने तथा विहित प्रपत्र में वांछित सूचनायें संबंधित जिला खनन कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता/पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

सचिव